

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राधाकिशन बनाम इन्वरसिई (कौरा)

फिरम मुकदमा नं. पत्र 111-128 नं. 63 तारीख 2021

क	हुकम या कारणवाही मय इनिशयल्ल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---	---------------------------------	--

3-21
इन्व

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉर्ज प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 30-9-21 को पेश था।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

20/10/21 पत्रावली प्रशासन गारो के संगे शक्तिपाव केम्प बागोरे में पेश हुई, शिपरीगण के सम्मन वापस मिले होकर शालत हुए एवं पयवार हल्का बागोरे द्वारा मॉन्टा विपक्षी शालत हुई जिसे शा-पठ किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीयक से लिखा जाकर शा-पठ किया गया । पत्रावली फॉल्ल शुमार होकर अम्बर से रुम हो।

डॉ. पूजा लल्लोना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन पोस्ट के सम अधिवेशन 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 63/21 प्रा.पञ्च

1- श्री बाबा किशन दास श्री जगन्नाथ सिंह दोगा निवासी- नवलपुरा तहसील (मौजा) -- प्रार्थी

1- श्री इस्तर सिंह दास श्री जेठू सिंह दोगा निवासी- नवलपुरा तहसील (मौजा) -- विपक्षीगण

(सिद्धांत प्रा. पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक

20.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवलपुरा.....पटवार हल्का बागौर.....तहसील मांडल/में उसके खाले संयुक्त खातों की आराजी 9, 40, 41, 42, 43.....कुल किता 05.....रकबा 2646.....हेक्टेयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.8.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागौर.....पटवार हल्का.....तहसील मांडल में स्थित आराजी 9, 40, 41, 42, 43.....कुल किता 05.....रकबा 2646.....हेक्टेयर.....भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बागौर.....को...../रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा